UPAG010067812026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, आगरा।
उपस्थित : विकास गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6172

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2913/2026

अभिषेक यादव पुत्र विजय किशोर निवासी विहारीधाम कॉलौनी, बरौली अहीर, थाना एकता, जिला आगरा। उम्र करीब 25 वर्ष।

..............................प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 231/2026
धारा 61(2), 115(2), 351(3), 309(6), 352, 127(2), 317(2), 112(2) बी0एन0एस0
<u>थाना एकता, जिला आगरा।</u>

<u>दिनांकः 25.06.2026</u>

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 231/2026 धारा 61(2), 115(2), 351(3), 309(6), 352, 127(2), 317(2), 112(2) बी0एन0एस0 थाना एकता, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र उसके पैरोकार विजय किशोर के शपथपत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना

पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा/पीड़ित XYZ (प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए वादी मुकदमा के निजता के अधिकार को देखते हुए उसकी पहचान गोपनीय रखी जा रही है।) द्वारा थाना एकता, जिला आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसकी दोस्ती ग्राइंडर ऑनलाइन एप के माध्यम से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। दिनांक 20.05.2026 को उस व्यक्ति ने ऐप पर मैसेज करके वादी को मिलने के लिए कहा और कहा हम लोग साथ मिलकर डिनर करेंगे। इस बात पर वादी करीब रात्रि 08.30 बजे सौ फुटा रोड की तरफ आया जहाँ पर गाड़ी संख्या HR 55 AT 2784 पर वादी को बुलाया, पास पहुँचने पर गाड़ी में दो लोग बैठे थे जिसमें से एक ने अपना नाम सूरज बताया और दूसरे ने अपना नाम नमन यादव बताया। वादी विश्वास में आकर गाड़ी में बैठ गया। कार को सवा सौ फुटा रोड से तोरा चौकी की ओर ले जाने लगे, कुछ देरी के बाद कार को अचानक सुनसान स्थान की ओर मोड़ दिया। वादी ने विरोध किया तो वादी के साथ गाली गलौज करते हुए इन दोनों लोगों ने मारपीट की। कुछ देर बाद उन लोगों ने दो लोगों को और बुला लिया, जिसमें से एक व्यक्ति बुलेट मोटरसाईकिल से तथा दूसरा व्यक्ति नीले रंग की पल्सर बाइक से आये थे। फिर सबने मिलकर उसके साथ मारपीट की। फिर उसमें से एक ने कहा कि सूरज तुम अपना लिंग उसके मुँह में दे दो, वादी काफी डर गया था। जबरदस्ती सूरज ने अपना लिंग वादी के मुँह में डाला और कहा कि अभिषेक और सौरभ तुम दोनों इसका वीडियो बना लो और वादी का मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद उन चारों लोगों ने वादी को कार में लाद कर आगरा रिंग रोड के किनारे कहीं सुनसान स्थान पर ले जाकर फिर वादी से कहा कि दो लाख की व्यवस्था करो नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगें, अगर पैसे नहीं दिये तो आज तुम जान से जाओगे। भयवश वादी ने अपने दोस्तों योगेश से 35000, अदित से 25000, मधुर से 25000, लविश से 15000, दीक्षा से 10000, तनीषा से 10000, साहिल से

10000, और ज्योति से 5000 रुपये ऑनलाइन अपने अकांउट में ट्रांसफर कराए। इस दौरान उक्त चारों लोग वादी के साथ मारपीट करते रहे। वादी ने कहा मैंने पैसे मंगवा लिए हैं, मैं आपको पैसे दे दूँगा मुझे छोड दो। इस पर इन लोगों ने वादी का मोबाइल छीनकर उसके गूगल–पे से एक बार में 72000 रुपये आईडी नं0 6378631998@Ptyes (mr- rajesh nayak) पर ट्रांसफर कर लिये। इसके बाद गूगल–पे से कुल दो बार में 25000 रुपये krishnkant panday (paytmr5ufqv5@ptys) पर ट्रांसफर कर लिये। वादी बहुत डर गया था। इन लोगों ने वादी की माँ, पिता और बहन का नंबर ले लिया, बोल रहे थे कि मुझ पर पहले से बहुत मुकदमे हैं, तुमने जाकर शिकायत की तो यह तमंचा देख रहे हो इसी से उड़ा दूँगा। काफी देर बाद गाडी में डालकर इधर उधर घुमाने के दौरान इन लोगों ने वादी का पर्स, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ पैसे थे, साथ में आई पोड भी लूट लिया, फिर वादी को रात करीब 11.30 बजे भोला डेरी के पास छोड़कर भाग गए। दिनांक 21.05.2026 को वादी के व्हाट्सअप नम्बर 89232XXXXX पर मोबाइल नम्बर 95284XXXXX से पहले मैसेज आये और काल की, कि मेरे एकाउण्ट में 50000 रुपये और डालो, वादी से लगातार पैसे माँग रहे हैं और कहा है कि मैं आपको क्यू0 आर0 कोड भेज दूँगा, उस पर पैसे भेज देना अगर पैसे नहीं भेजे तो मैं वीडियो वायरल कर दूँगा, साथ ही तुम्हारे परिवार का बुरा हाल करूँगा। वादी बहुत डर गया था, वादी बहुत परेशान था, कहीं ये लोग उसका वीडियो वायरल न कर दें और लगातार धमकी देकर पैसे मॉग रहे हैं। वादी रो रहा था, तो वादी के मम्मी पापा उसके पास आये तो उसने पूरी बात मम्मी पापा को बतायी। वादी अपने घर वालों के साथ थाने आया है।

4. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना एकता, जिला आगरा पर प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक एवं सहअभियुक्तगण नमन यादव, सूरज व सौरभ के विरूद्ध मु0अ0सं0 231/2026 अन्तर्गत धारा 61(2), 115(2), 351(3), 309(6), 352, 127(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत

किया गया, विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 317(2), 112(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

5. प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय स्तर का स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है। करीब 06 वर्ष पूर्व से कुसाग्र यादव से मित्रता थी, एक दूसरे के घर आना जाना था, एक दिन कुसाग्र यादव के पिता संजय बाबू यादव व उनके परिजनों ने प्रार्थी/अभियुक्त की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हुए अपनी पुत्री आयुषी यादव की शादी प्रार्थी/अभियुक्त के साथ करने की इच्छा प्रकट की जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त के परिजनों ने अपनी सहमति दे दी और दिनांक 14.03.2025 को अभिषेक व आयुषी की सगाई करा दी गयी तथा उनकी शादी माह दिसम्बर को होने को थी। कुछ समय बाद आयुषी यादव ने अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने व अपने पिता के बीमार होने की बात कहकर प्रार्थी/अभियुक्त से रूपयों की मांग की जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त ने उसकी बातों पर विश्वास करके विभिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न धनराशि आयुषी यादव के मोबाइल नम्बर पर कुल 3,98,000/– पेटीएम के माध्यम से भेजे गए। एक दिन आयुषी यादव ने प्रार्थी/अभियुक्त पर एक षडयन्त्र के तहत अपने पिता संजय बाबू के ऑपरेशन होने का बहाना बनाकर 3,50,000/– रूपए की मांग की, प्रार्थी/अभियुक्त के पिता ने दिनांक 04.09.2025 को 3,50,000/– रूपए नगद आयुषी के भाई व पिता को प्राप्त कराए। बाद में प्रार्थी/अभियुक्त को जानकारी हुई कि आयुषी ने धोखाधड़ी करके प्रार्थी से कुल 7,48,000/– रूपए हड़प लिया है। दिनांक 17.10.2025 को अपने रिश्तेदारों से फोन कराकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिलवायी जिसके संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त ने मु0अ0सं0 47/2025 धारा

351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना एकता पर दर्ज कराया है। आयुषी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झूठी कहानी गढ़कर पुलिस से सांठ गांठ करके प्रार्थी/अभियुक्त व उसके परिजनों के विरूद्ध मु0अ0सं0 702/2025 थाना ताजगंज दर्ज कराया है। उपरोक्त मुकदमा धोखाधड़ी से हड़पी गयी धनराशि की बेईमानी करने के लिए दर्ज कराया गया है। दिनांक 30.12.2025 को कथित घटनास्थल पर प्रार्थी/अभियुक्त मौजूद नहीं था, न ही उसने कोई घटना की। मुकदमा वादी आकाश यादव ने मु0अ0सं0 47/2025 से बचने के लिए मु0अ0सं0 883/2025 थाना शिकोहाबाद में पुलिस से सांठ गांठ करके दर्ज कराया है, उपरोक्त समय पर प्रार्थी/अभियुक्त घर पर था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.12.2025 को सौरभ यादव के साथ सौरभ यादव की भतीजी के जन्मदिन में गॉव गढ़साल थाना सैंया, आगरा गया और दावत खाने के बाद सोया हुआ था, रात 11:40 बजे प्रार्थी/अभियुक्त व सौरभ यादव को व उसके बाद अन्य व्यक्तियों को पुलिस टीम ने उठा लिया तथा फर्जी घटना दिखाते हुए मु0अ0सं0 885/2025 थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद पर नामजद कर दर्ज करा दिया तथा मु0अ0सं0 207/2025 थाना अराव फिरोजाबाद पर दर्ज करा दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 30.12.2025 को रात्रि 11:40 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की मॉ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0 प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस दिनांक 20.05.2026 को रात्रि करीब 10 बजे घर से उठाकर ले गयी थी और दिनांक 22.05.2026 तक थाने व पुलिस चौकी में बंद कर रखा व दिनांक 22.05.2026 को उपरोक्त मुकदमें में झूठा बंद कर जेल भेज दिया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से कारागार में बंद है। प्रार्थी/अभियुक्त की मॉ श्रीमती सीमा द्वारा पुलिस के खिलाफ धारा 173(4) बी0एन0एस0 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस द्वारा बार बार अन्य मुकदमों में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर छोटे संगठित अपराध कारित करने हेतु एक गिरोह बनाकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म में ग्राइंडर ऑनलाइन एप से वादी को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी, लैगिंक कृत्य किया गया और लूटपाट की गयी और वादी को जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर वादी को अपने दोस्तों से ऑनलाइन पैसे मंगवाने हेतु विवश करते हुए ऑनलाईन ट्रांजक्शन के माध्यम से वादी का रूपया लूटा गया, वादी को चलती गाड़ी में सदोष परिरोध में रखा गया और प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण से वादी से लूटा गया माल बरामद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। अतः उसके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसे तथ्यों को उल्लिखित किया गया है जिनका प्रस्तुत अभियोग से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य लोगों द्वारा मुकदमें दर्ज करवाए गए या प्रार्थी/अभिुक्त की मॉ द्वारा धारा 173(4) बी0एन0एस0 एस0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, इन तथ्यों का प्रस्तुत प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

9. प्रस्तुत अभियोग की विवेचना के दौरान दिनांक 22.05.2026 को

पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव एवं अन्य सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव से वादी मुकदमा से लूटा गया एक पर्स, वादी का पैन कार्ड, वादी का आधार कार्ड, लूट के 2500/– रूपए नगद बरामद किए गए तथा अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किए गए। पुलिस द्वारा सहअभियुक्त नमन यादव से एक मोबाइल फोन ओप्पो रंग काला बरामद किया गया जिसे चैक करने पर उसमें नम्बर 95284XXXXX से वाट्सएप बना हुआ है तथा वादी मुकदमा के मोबाइल नम्बर 89232XXXXX पर दिनांक 21.05.2026 को विभिन्न स्थान पर बुलाए जाने, दिनांक 20.05.2026 को किए गए रूपए ट्रांसफर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगाने, क्यू0आर0 कोड भेजने तथा आई0एफ0सी0 की डिटेल भेजे जाने और रूपए मांगने की चैटिंग अंकित है जिस मोबाइल को सहअभियुक्त नमन यादव द्वारा अपने दोस्त शरद उर्फ रोबिन यादव का होना बताया गया है। विवेचक द्वारा सहअभियुक्त नमन यादव से बरामद मोबाइल फोन ओप्पो के स्क्रीन शॉट्स के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त नम्बर से पीड़ित को विभिन्न स्थानों पर मिलने हेतु बुलाया जा रहा था जिनसे पीड़ित को सुनसान स्थान पर बुलाने का प्रयास परिलक्षित होता है, अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण द्वारा लगातार सम्पर्क बनाते हुए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है तथा घटना के उपरान्त भी वादी से सम्पर्क कर अतिरिक्त रूपए की मांग किए जाने के संबंध में चैटिंग व कॉल विवरण अंकित है। उक्त स्क्रीन शॉट्स प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित को अपने झांसे में लेकर बुलाने एवं उससे धन उगाही किए जाने की पुष्टि करते हैं। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की डा0 देवेन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौली अहीर द्वारा दिनांक 22.05.2026 को समय 11:30 बजे किए गए चिकित्सीय परीक्षण का उल्लेख किया गया है जिसमें वादी के शरीर पर एक जाहिर चोट होना और दूसरी चोट में छाती के अगले एवं पिछले भाग एवं दोनों घुटनों में दर्द होना अंकित है।

10. विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया गया है कि उसकी उम्र 23 वर्ष है, उसने ग्राइंडर ऑनलाइन एप के माध्यम से एक व्यक्ति से बातचीत शुरू की, दिनांक 20.05.2026 को उस व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कहा कि हम लोग साथ बैठकर डिनर करेंगे। वादी करीब 08:30 बजे सौ फुटा रोड की तरफ मिलने के लिए आया, थोड़ी देर बाद वादी को उस व्यक्ति ने एक स्विफ्ट कार HR 55 AT 2784 में बैठने को कहा, उस कार में दो लोग बैठे थे, एक ने अपना नाम सूरज, दूसरे ने नमन यादव बताया, वादी विश्वास करके उस कार में उन दोनों के साथ बैठ गया। गाड़ी को काफी दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर रोक दिया, वादी ने विरोध किया कि उसे यहीं उतार दो और गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो ये लोग उसे गाली देने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे, अपने दो और साथियों को बुला लिया, थोड़ी देर बाद दो लड़के अलग–अलग मोटरसाईकिल से वहॉ आ गए, फिर सब वादी को गालियॉ देने लगे, उसे मारने लगे, फिर उनमें से एक ने कहा कि सूरज तुम अपना लिंग इसके मुॅह में दे दो, वादी काफी डर गया, सूरज ने जबरदस्ती अपना लिंग वादी के मुॅह में डाला और कहा कि अभिषेक और सौरभ तुम दोनों इसका वीडियो बना लो और वादी का मोबाइल भी छीन लिया। इन चारों ने वादी को कार में लादकर आगरा रिंग रोड के किनारे कहीं सुनसान स्थान पर ले जाकर वादी से कहा कि दो लाख की व्यवस्था करो नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, अगर पैसे नही दिए तो आज तुम जान से जाओगे, वादी ने डर के कारण अलग–अलग दोस्तों से रूपए अपने खाते में डलवाए। जब वादी के एकाउन्ट में रूपए आ गए तो इन लोगों ने उसका मोबाइल छीनकर उसके गूगल–पे से एक बार में 72000/– रूपए, आई0डी0 नं0 6378631998@Ptyes (mr.rajesh nayak) पर ट्रांसफर कर लिये, इसके बाद गूगल–पे से कुल तीन बार में 32000/– रुपये krishnkant panday (paytmr5ufqv5@ptys) पर ट्रांसफर कर लिये। काफी देर बाद गाड़ी में डालकर इधर उधर घुमाने के बाद इन लोगों ने वादी का

पर्स जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुछ पैसे थे, साथ में आई पोड भी लूट लिया फिर वादी को रात करीब 11:30 बजे भोला डेरी के पास छोड़कर भाग गए। आज दिनांक 21.05.2026 को वादी के वाट्सएप नम्बर 89232XXXXX पर मोबाइल नम्बर 95284XXXX से पहले मैसेज आया और कहा कि मेरे एकाउन्ट में 50 हजार रूपए और डालो, वादी से लगातार पैसे मांग रहे हैं और कहा कि आपको क्यू0आर0 कोड भेज देंगे, उस पर पैसे भेज देना। पैसे नहीं भेजे तो वीडियो वायरल कर देंगे साथ ही तुम्हारे परिवार का बुरा हाल करूंगा।

11. विवेचना के दौरान मुल्जिमान द्वारा वादी से कराए गए रूपए के ट्रांसफर तथा धमकी से संबंधित वाट्सएप चैट को वादी द्वारा एक पैन ड्राइव में विवेचक को उपलब्ध कराया गया। विवेचक द्वारा जिस पैन ड्राइव के पॉच फोल्डरों के प्रथम फोल्डर 7000 Transaction नाम से है जिसके अन्तर्गत krishnkant panday (paytmr5ufqv5ptys) को 7000/– ट्रांसफर किए जाने संबंधी स्क्रीन शॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग संकलित है। द्वितीय फोल्डर 10000 Transaction नाम से है जिसके अन्तर्गत krishnkant panday (paytmr5ufqv5ptys) को 10,000/– ट्रांसफर किए जाने संबंधी स्क्रीन शॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग संकलित है। तृतीय फोल्डर 15000 Transaction नाम से है जिसके अन्तर्गत krishnkant panday (paytmr5ufqv5ptys) को 15,000/– ट्रांसफर किए जाने संबंधी स्क्रीन शॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग संकलित है। चतुर्थ फोल्डर 72000 Transaction नाम से है जिसके अन्तर्गत आईडी नं0 6378631998Ptyes (Mr. Rajesh Nayak) पर 72,000/– ट्रांसफर किए जाने संबंधी स्क्रीन शॉट एवं स्क्रीन रिकॉर्डिंग संकलित है। पंचम फोल्डर WhatsappChat नाम से है जिसमें मोबाइल नं0 95284XXXXX द्वारा वादी मुकदमा से प्रारम्भ में 54,000/– तथा बाद में 50,000/– की मांग करते हुए QR Code प्रेषित किया गया है तथा धनराशि न देने पर वादी मुकदमा का वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी है।

12. प्रस्तुत अभियोग के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लिखित करना सुसंगत होगा कि भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत किसी व्यस्क पुरूष से जबरन मुख मैथुन करने का कोई अपराध परिभाषित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत अभियोग में प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए वादी मुकदमा का छलयुक्त प्रपंचों द्वारा अपहरण करते हुए वादी मुकदमा के साथ आप्रकृतिक कामेच्छा की पूर्ति करते हुए वादी मुकदमा के मुँह में जबरदस्ती लिंग डालने का आरोप है जो अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

13. प्रस्तुत अभियोग के तथ्यों को देखते हुए विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी के इन तर्कों का उल्लेख करना सुसंगत होगा कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा एक गिरोह बनाकर छोटे संगठित अपराध करते हुए सोशल मीडिया एप के माध्यम से समाज के उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता है जिनका यौन रूझान (Sexual Orientation) विभिन्न प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले में तो अपराध पंजीकृत हो गया परन्तु इस प्रकृति के अनेकों अपराध लोकलाज के कारण पंजीकृत नहीं हो पाते हैं और इस तरह का अपराध करने वाले समाज के भीतर छिपकर मासूम लोगों के साथ गंभीर अपराध करते हैं।

14. प्रस्तुत अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य, प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव व सहअभियुक्तगण से की गयी बरामदगी से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर छोटे संगठित अपराध कारित करने हेतु एक गिरोह बनाकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म में ग्रांइडर ऑनलाइन एप से वादी को बहला फुसलाकर वादी का अपहरण कर वादी के साथ गाली गलौच करने मारपीट करने और वादी को सुनसान जगह ले जाकर वादी के साथ आप्रकृतिक कामेच्छा में मुख मैथुन करते हुए वादी का अश्लील वीडियो बनाकर वादी को वीडियो

वायरल करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर वादी से ऑनलाइन ट्रांजक्शन के जरिए रूपयों की लूट करने और वादी के पर्स एवं उसमें रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड, नगद रूपयों व आई पोड को लूटने और वादी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रूपयों की मांग करने के गंभीर आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व निरर्थक फंसाए जाने का कोई कारण दर्शित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1983 की धारा 10 में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय का यह समाधान भी नहीं हुआ है, जिससे यह विश्वास हो कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है।

15. अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, तद्नुसार निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक यादव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 231/2026 धारा 61(2), 115(2), 351(3), 309(6), 352, 127(2), 317(2), 112(2) बी0एन0एस0 थाना एकता, जिला आगरा के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

(विकास गोयल)
(I.D. UP6172)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03
आगरा।

Digitally signed by Vikas Goyal
Date: 2026.06.25 12:05:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court